परिशिष्ट–1

सुरक्षा व्यवस्था हेतु नियम व शर्तें शैक्षणिक सत्र 2022–23

नियम/शर्तें:

1. महाविद्यालय की सुरक्षा का अनुबंध शैक्षणिक सत्र 2022–23 अथवा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा ।
2. निविदा हेतु संस्था/फर्म के पास न्यूनतम तीन वर्षों का कार्यानुभव होना आवश्यक है ।
3. निविदा हेतु आवेदन के साथ संस्था का भोपाल में पंजीकृत कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र, श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
4. निविदाकर्ता संस्था/फर्म पर कोई आरोप/प्रकरण इत्यादि विचाराधीन नहीं है, तदाशय का नवीनतम प्रमाण पत्र जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त कर संलग्न करना होगा।
5. निविदा के साथ अन्य संस्थानों में संस्था/फर्म द्वारा दी जा रही सुरक्षा सेवाओं की जानकारी संलग्न की जाना होगी ।
6. संस्था/फर्म द्वारा दी जा रही सुरक्षा सेवाओं की जानकारी संलग्न की जाना होगी ।
7. निविदा के साथ रू. 20000/– (रूपये बीस हजार) सुरक्षा व्यवस्था हेतु डिमांड ड्राफ्ट/मियादी जमा, " प्राचार्य, शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय, भोपाल" के नाम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।
8. निविदाकर्ता द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का प्रभार लेने के पूर्व जिन व्यक्तियो की सेवायें सुरक्षा हेतु प्रदत्त की जावेगी उनके नाम, पूर्ण पता, आयु, फोटो, स्वस्थता प्रमाण पत्र एवं पुलिस सत्यापन, प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
9. न्यूनतम दर वाले सफल निविदाकर्ता संस्था/फर्म को कार्यादेश में उल्लेखित अवधि के लिए अनुबंध संपादित करना अनिवार्य होगा एवं आदेश जारी होने की तिथि से कार्य प्रांरभ करना होगा, अन्यथा द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदाकर्ता को कार्य सौंपने हेतु प्राचार्य/सचिव, शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय, भोपाल स्वंतत्र होगें ।
10. सफल निविदाकर्ता संस्था/फर्म को कार्यादेश में दर्शाई गई अवधि हेतु अनिवार्य रूप से सुरक्षाकर्मी की व्यवस्था करनी होगी । संस्था/फर्म द्वारा किसी कारणवश अपनी सेवाऐं समाप्त करने हेतु दो माह पूर्व लिखित सूचना महाविद्यालय प्रशासन को दिया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा संस्था/फर्म की प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी ।
11. असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि का ड्राफ्ट निविदा खोलने की दिनांक से 01 माह के भीतर वापिस कर दिया जावेगा ।
12. सफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि कार्य पूर्ण होने पर वापस कर दी जायेगी जिसमें किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।
13. संविधिक आवश्यक जैसे मिनिमम वैजेस कम्पनसेशन एक्ट, प्रॉविडेंट फण्ड एक्ट, लेबर एक्ट इत्यादि के अंतर्गत रखे गये सुरक्षाकर्मी के समस्त प्रकार के स्वत्वों के एवं कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संपूर्ण क्षतिपूर्ति की जवाबदेही संबंधित फर्म की होगी ।
14. निविदाकर्ता संस्था/फर्म द्वारा सुरक्षा कार्य पर लगाये गये सुरक्षाकर्मी को प्राचार्य, शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय, भोपाल में रोजगार प्राप्त करने का कोई अधिकार सृजित नहीं होगा न ही कोई रोजगार से संबंधित दावा मान्य होगा ।
15. किसी भी सुरक्षाकर्मी के अवकाश पर होने पर अस्वस्थ होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था की जवाबदेही निविदाकर्ता संस्था/फर्म की होगी । समय–समय पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी की व्यवस्था आवश्यकता होने पर संबंधित फर्म द्वारा की जाना होगी ।

प्राचार्य
शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन)
महाविद्यालय, भोपाल

Scanned by CamScanner

16. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा सेवाएं प्रदत्त करने हेतु समय-समय पर लगाये जाने वाले समस्त प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करों का भुगतान निविदाकर्ता संस्था/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। केंद्र/राज्य शासन के यहां चुकाये/जमा किये गये कर के प्रमाणन स्वरूप रसीद की सत्यापित छायाप्रति महाविद्यालय को तत्काल प्रस्तुत करना होगी।

17. सुरक्षा एजेन्सी को 18 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र वाले स्वस्थ्य व्यक्तियों को सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्य करने हेतु तैनात करना होगा।

18. सभी सुरक्षा कर्मियों की दैनिक उपस्थिति का रिकार्ड महाविद्यालय के कार्यालय द्वारा संधारित किया जावेगा। कर्तव्य पर उपस्थित सभी सुरक्षाकर्मी कार्यालय द्वारा संधारित उपस्थिति रजिस्टर में प्रतिदिन हस्ताक्षर करेगें। माह के अंत में उपस्थिति सत्यापन हेतु गठित समिति द्वारा उपस्थिति को सत्यापित किया जावेगा। ऐसे सत्यापन के आधार पर ही भुगतान किया जावेगा। सभी सुरक्षाकर्मी को प्रतिदिन महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा जिसके प्रभारी महाविद्यालय के मुख्य लिपिक होगें।

19. निविदाकर्ता संस्था/फर्म द्वारा सुरक्षाकर्मियों की सेवाऐं उपलब्ध कराने के पश्चात् भुगतान देयक प्रतिमाह प्रस्तुत किया जावेगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा किसी कारणवश भुगतानों पर लगायी गयी रोक के दौरान देयक भुगतान में विलंब की स्थिति में लगाये गये व्यक्तियों के व्यय निविदाकर्ता संस्था/फर्म द्वारावहन किया जावेगा तथा यथा नियम एवं समय पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

20. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा 15 दिवस पूर्व लिखित सूचना देकर निविदाकर्ता संस्था/फर्म की संचालन व्यवस्था कभी भी बिना किसी कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

21. सभी सुरक्षा कर्मियों को महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुमोदित यूनिफार्म एवं नाम के बैच के साथ कर्तव्य पर उपस्थित होना होगा।

22. महाविद्यालय के सुरक्षा व्यवस्था की समस्त जवाबदेही ऐसे निविदाकर्ता संस्था/फर्म की होगी जिनकी निविदा स्वीकृत की जाती है। निविदा स्वीकृति पश्चात् संस्था/फर्म द्वारा नियुक्त व्यक्तियों द्वारा कार्य आवश्यक रूप से संपन्न किये जावेगें।

23. सुरक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन महाविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित समिति/प्राचार्य द्वारा चयनित सदस्य द्वारा किया जावेगा।

24. निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कमी होने पर या कर्मचारी के अनुपस्थित होने पर प्रथम बार कारण बताओं सूचना जारी की जावेगी। तत्पश्चात् रूपये 1000/- प्रतिदिन अर्थदण्ड के रूप में वसूल किया जायेगा।

25. सुरक्षा कर्मी द्वारा संपूर्ण परिसर पर नजर रखी जावेगी। संदिग्ध हालात, लड़ाई-झगड़ा, आग लगने जैसे घटनाओं की सूचना सुरक्षा संस्था के साथ-साथ प्राचार्य, शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय, भोपाल अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियों को तत्काल दी जानी आवश्यक होगा।

26. सुरक्षाकर्मी द्वारा परिसर के अंदर जानवरों/मवेशियों का प्रवेश रोका जावेगा। किसी बाहरी व्यक्ति के परिसर में प्रवेश करने पर सुरक्षाकर्मी द्वारा उससे आवश्यक पूछताछ कर संधारित पंजी, में आगंतुक का नाम, कार्य, एवं समय आदि दर्ज करायेगें।

27. निविदाकर्ता संस्था/फर्म की सुरक्षाकर्मी के लिये यूनीफार्म एवं आवश्यक सामग्री जैसे - स्टेशनरी, पेन/पंजी/टार्च एवं सुरक्षा उपकरण आदि उपलब्ध कराना होगें।

28. निविदाकर्ता संस्था/फर्म को सुरक्षाकर्मी को एक मोबाईल फोनभी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा जो सभी पालियों के सभी सुरक्षाकर्मियों को कर्तव्य के दौरान हस्तांतरित किया जाता रहेगा।

29. छात्रावास एवं महाविद्यालय भवन में चोरी, तोड़फोड़ इत्यादि की दशा में संपूर्ण जवाबदेही कर्तव्य पर उपस्थित सुरक्षाकर्मी/कर्मियों की होगी एवं हुये नुकसान की भरपाई संबंधित संस्था/फर्म द्वारा की जावेगी।

30. सुरक्षा हेतु न्यूनतम दरें अगर किसी एक संस्था की नहीं आती है तो जिस संस्था को अधिकांश कार्यादेश जारी किये जा रहे होगें, शेष कार्यों हेतु उसी संस्था से अन्य संस्था द्वारा दर्शायी गयी न्यूनतम दरों पर कार्य करना होगा।

प्राचार्य
शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन)
महाविद्यालय, भोपाल

Scanned by CamScanner

31. निविदाकर्ता संस्था/फर्म के किसी भी व्यक्तियों को ड्यूटी के दौरान अल्कोहल/मादक ओषधि सेवन करते हुये /पूर्व से सेवन किये जाने की दशा में पाये जाने पर निविदाकर्ता संस्था/फर्म की सेवाऐं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी ।

32. निविदाकर्ता फर्म द्वारा नियुक्त किये गये सुरक्षा कर्मियों के ई.पी.एफ तथा ई.एस.आई एवं शासन के नियमानुसार अन्य कटोत्रा अंशदान जमा किये जाने की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी । महाविद्यालय द्वारा इन व्यक्तियों का किसी भी तरह का अंशदान, भुगतान नहीं किया जावेगा । निविदाकर्ता द्वारा सर्विस चार्ज के अंतर्गत उपरोक्त अंशदानों का समावेश किया जा सकता है ।

33. सुरक्षा कर्मियों के जमा किये गये ई.पी.एफ कटोत्रा, अंशदान का प्रमाण–पत्र/चालान, नाम एवं खाता कमांक सहित प्रतिमाह महाविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा । तद्पश्चात् आगामी माह का भुगतान महाविद्यालय द्वारा निविदाकर्ता फर्म को किया जा सकेगा ।

34. शासन स्तर पर संबंधित कार्य हेतु संलग्न कर्मियों के अन्य किसी भी प्रकार के कटोत्रे निर्देश अगर होते है तो उसका भुगतान भी निविदाकर्ता को ही करना होगा ।

35. माह के प्रथम सप्ताह में संबंधित संस्था द्वारा भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत करना होगा जिस पर नियमानुसार जी.एस.टी. को जोड़कर देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

36. अन्य कोई भी भुगतान

37. जैसे यूनिफार्म, जूते, छुट्टी का वेतन, बोनस तथा अन्य ठेकेदार के द्वारा सेवा शुल्क के माध्यम से वहन किया जाएगा । महाविद्यालय की उपरोक्त के प्रति कोई जवाबदारी नहीं होगी । समस्त अंशदान एवं ऊपरी खर्चो (Overhead) की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी ।

38. यदि शासन द्वारा आधारभूत न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जाती है तो संशोधित दरें कियान्वयन के माह से भुगतान के लिए लागू की जावेगी ।

39. किसी भी वाद की स्थिति में प्राचार्य/सचिव, शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय, भोपाल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

40. निविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार प्राचार्य/सचिव, शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय, भोपाल का होगा एवं उनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

24.12.22

प्राचार्य/सचिव
जनभागीदारी समिति
शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय,
भोपाल, म.प्र.

24.12.22
(डॉ. ओमनारायण जैन)

24.12.22

Scanned by CamScanner